RTI ACT -2005

- प्रशासनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जून,2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनसहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

- सूचना के अधिकार को संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1) के तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार भी है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या

कार्य हैं आदि। प्रत्येक नागरिक कर (Tax) का भुगतान करता है। अतः उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा कर के रूप में दी गई राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

- आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं, जिनका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।
- **सूचना (Information)-**सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना से तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जिसके अन्तर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल और आंकड़े सम्बन्धी सामग्री सम्मिलित हों। साथ ही, किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना भी सम्मिलित

है, जिस तक विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है।

- **अधिकार (Right):** सूचना के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं-

  - दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण।
  - दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।
  - सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
  - फ्लॉपी डिस्क, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में प्रिंट आउट लेना।

आरटीआई के तहत सूचना लेने के नियम

- ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानसभा सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
- सिर्फ भारतीय नागरिक इस कानून का फायदा ले सकते हैं।
- सरकारी विभाग में 1 या ज्यादा अधिकारियों को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में अप्वॉइंट करना जरूरी है।
- पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती
- रिटेंशन पीरियड तक की सूचनाएं मांगी जा सकती है।
- आरटीआई की फीस ₹10 है और बीपीएल वालों के लिए फ्री है।

- आईटीआई की फीस डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल आर्डर द्वारा दी जा सकती है।
- आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई इंफॉर्मेशन के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है।
- 30 दिन के बाद आपको बिना फीस के सारी इंफॉर्मेशन दी जानी है।
- आईटीआई की फीस डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल आर्डर द्वारा दी जा सकती है।
- आरटीआई के दायरे में आने वाले सभी विभागों से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री दफ्तर संसद और विधान मंडल चुनाव आयोग सभी अदालतें तमाम सरकारी दफ्तर सभी सरकारी बैंक सारे सरकारी अस्पताल पुलिस महकमा सेना के तीनों अंगों सरकारी बीमा कंपनियां सरकारी कंपनियां सरकार से आने वाले एनजीओ स्कूल कॉलेज।

आरटीआई के तहत नहीं ली जा सकती हैं

- जिससे सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो।
- दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले ।
- थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थाओं संबंधी जानकारी।

आरटीआई एप्लीकेशन कैसे लिखें

- सूचना पाने के लिए कोई तय प्रोफार्मा नहीं है।
- सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप करा कर ₹10 की फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं।
- आवेदक को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या personal details देने की जरूरत नहीं है,सिर्फ अपना पता देना होगा ।

<u>आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने को कब मना किया जा सकता है</u>

- एप्लीकेशन किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी के नाम पर हो
- आप ठीक तरह से सही फीस का भुगतान नहीं कर पाए हैं।
- आप गरीबी रेखा से जुड़े सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी ना दे पाए हो ।
- सरकारी विभाग के संस्थान संस्थानों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो ।

अगर कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है या फिर जानबूझकर देरी करता है या तथ्य छुपाने की कोशिश करता है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, और ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी पर

प्रतिदिन के अनुसार ढाई सौ रुपए के अनुसार ₹25000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

आरटीआई की महत्वपूर्ण धाराएं

- धारा 6/1 आरटीआई का आवेदन लिखने की धारा 6/3 आवेदन गलत विभाग में चला गया है तो सही विभाग में 5 दिन के अंदर भेजना होगा ।
- धारा 7/5 बीपीएल कार्ड वालों को शुल्क नहीं देना होता
- धारा 7/6 आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं दिया जाता तो सूचना नि:शुल्क दी जाएगी ।
- धारा 8 वह सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो ।
- धारा 18 कोई अधिकारी जवाब नहीं देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए ।
- धारा 19/1 एक आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं ।

- धारा 19/3 प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं ।

अपील का अधिकार

- आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने अपील कर सकता है।
- प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी ऐसी अपील जन सूचना अधिकारी का जवाब मिलने की तारीख से 30 दिन के अंदर की जा सकती है।
- अपीलीय अधिकारी को 30 दिन के अंदर या खास मामलों में 45 दिन के अंदर अपील का निपटान करना जरूरी है।

अपील का अधिकार

अगर आपको पहली अपील दाखिल करने के 45 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता तो आप 45 दिन के अंदर राज्य के स्टेट इनफार्मेशन कमीशन से या केंद्रीय

प्राधिकरण के लिए सेंट्रल इनफॉरमेशन कमीशन के पास दूसरी अपील दाखिल कर सकते हैं ।